प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 19.12.2020

अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 02 शातिर सदस्य थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 होंडा सिटी कार व 01 संदिग्ध सैन्ट्रो कार एवं अवैध असलहा बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक अपराध श्री विरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 18.12.2020 को प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी मण्ड़ी उ0नि0 छैल बिहारी शर्मा मय फोर्स के थाना क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश 02 गाड़ियों में अनूपशहर की तरफ से आने वाले है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल हजरतपुर पुलिया पर पहुँचकर चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद अनूपशहर की तरफ से एक होंडा सिटी कार व उसके पीछे एक सैन्ट्रो कार आती दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तथा घेराबन्दी कर होंडा सिटी कार में सवार 02 अभियुक्तों को समय करीब 13.45 बजे चोरी की होंडा सिटी कार, अवैध असलहा मय कारतूस व एक छुरी नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया तथा सेन्ट्रो कार सवार दो बदमाश गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. हसीन पुत्र रहीश निवासी बकरी कमेला सराय मियां थाना देहली गेट जनपद अलीगढ।
2. कासिफ पुत्र अफजाल निवासी शाहजमाल माहबुद्धनगर एडीए कॉलोनी बिजलीघर थाना देहली गेट अलीगढ।

बरामदगी-

1- 01 होंडा सिटी कार नं0-यूपी-14एक्यू-9851 (थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र से चोरी)

2- 01 सैन्ट्री कार नं0-डीएल-8सीएच-8568 (संदिग्ध चोरी)

3- 01 तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा।

4- 01 छुरी नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्तगण अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं जिनके द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर बरामद होंडा सिटी कार को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र मौ0 चौधरीबाड़ा से दिनांक 13.12.2020 को चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-954/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। बरामद सैन्ट्रो कार को भी ट्रेस किया जा रहा है। अभियुक्तों द्वारा वाहनों को चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर आस-पास क्षेत्रों में बेचने की स्वीकारोक्ति की गई है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त हसीन के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर व मथुरा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि संगीन अपराधों के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-1127/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, मु0अ0सं0-1128/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व मुअ0सं0-1129/20 धारा 420/467/468/471/411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री विरेन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक अपराध कोतवाली देहात

2- उ0नि0 छैल बिहारी शर्मा प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी मण्ड़ी

3- का0 नितेश कुमार, का0 राजवीर सिंह, का0 अविनय कुमार, का0 चालक अमीर आलम